वर्ष: 03 अंक: 07

आयोग की मासिक पत्रिका

एक कदम पारदर्शिता की ओर

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

न्यूजलेटर - फरवरी - 2024

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

पांचवां तल, लोक नायक भवन, खान मार्किट
नई दिल्ली-110003

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

न्यूजलेटर

वर्ष: 03 अंक: 07

फरवरी 2024

संपादक

राजेश रंजन सिंह

ई–मेल : singh.rr9@gmail.com

@srajeshranjan

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की ओर से लगातार हर माह मासिक पत्रिका प्रकाशित करने का सिलसिला जारी है। आयोग द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका का यह 30वां अंक है। अभी तक आप सभी के सहयोग व मार्गदर्शन से सफलतापूर्वक 29 अंकों का प्रकाशन किया जा चुका है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के माननीय अध्यक्ष (कार्य प्रभारित) के निर्देशानुसार आयोग द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों को इस अंक में संकलित किया गया है। बीते फरवरी माह में छठे आयोग का कार्यकाल भी समाप्त हुआ।

इस अंक में आयोग आयोग द्वारा किए गए स्थलीय निरीक्षणों, विभिन्न संस्थानों की समीक्षा बैठक, आयोग मुख्यालय व राज्य कार्यालयों में की गई जनसुनवाई, आयोग की आतंरिक बैठक समेत देश भर के कई बड़े मामलों को शामिल किया गया है। फरवरी माह में आयोग द्वारा माननीया राष्ट्रपति को साल 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट सौंपी गई। इसे भी इस अंक में शामिल किया गया है। आशा है कि मासिक पत्रिका के जरिए आपको जानकारी मिलती रहे और पत्रिका प्रकाशन में आपका सहयोग मिलता रहेगा।

धन्यवाद

(संपादक)

किसी भी प्रकार के सुझाव और शिकायतों के लिये संपर्क करें:

011 - 24620435 & 24606802

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

भारत सरकार

5th Floor, Lok Nayak Bhawan, Khan Market,
New Delhi - 110003

website: http://ncsc.nic.in

ऑनलाइन शिकायत यहां दर्ज करें:

https://ncsc.negd.in/

National Commission for Scheduled Castes

श्री अरूण हालदार
अध्यक्ष (कार्य प्रभारित)

डॉ. अंजू बाला
सदस्या

श्री सुभाष रामनाथ पारधी
सदस्य

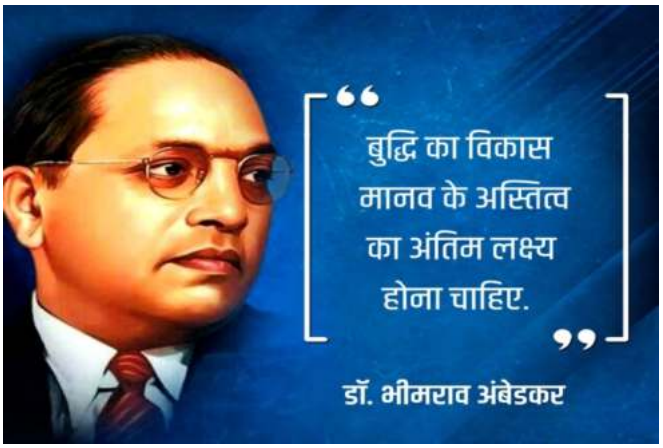

@NCSC_GoI

@NCSC.GoI

@ncsc_goi

Koo

@NCSC

माननीय अध्यक्ष (कार्य प्रभारित) का संदेश

श्री अरूण हालदार
अध्यक्ष (कार्य प्रभारित)

अरूण हालदार

अध्यक्ष (कार्य प्रभारित) ,
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
भारत सरकार

@arunhalderncsc

बीते माह फरवरी में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की वार्षिक रिपोर्ट 2022-2023 माननीया राष्ट्रपति को सौंपी गई। इस दौरान माननीय सदस्या श्री सुभाष रामनाथ पारधी और माननीय सदस्या डॉ. अंजू बाला भी मौजूद रहीं। इस रिपोर्ट में भारत के संविधान में निहित अनुसूचित जातियों के संवैधानिक रक्षोपायों की सुरक्षा के संबंध में आयोग को सौंपे गए मुद्दों पर विभिन्न संस्तुतियां शामिल हैं। इस अंक में पश्चिम बंगाल के संदेशखालि की घटना को भी संकलित किया गया है। इस घटना की सूचना मिलते ही आयोग ने मौके पर जाकर जांच की। इस मामले की रिपोर्ट माननीया राष्ट्रपति को दी गई। साथ ही पश्चिम बंगाल राज्य के हालात के मद्देनजर वहां पर राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की गई।

फरवरी माह में आयोग के पंजाब नेशनल बैंक, पावर ग्रिड कारपोरेशन, राजस्थान मरूधारा ग्रामीण बैंक जैसे संस्थानों की समीक्षा भी की गई। इन समीक्षा बैठकों में आयोग ने संबंधित संस्थानों के अधिकारियों से यह जानकारी ली कि किस प्रकार इन संस्थाओं में अनुसूचित जाति के अधिकारियों-कर्मचारियों को आरक्षण नीति का उचित लाभ मिल रहा है अथवा नहीं। साथ ही अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए अन्य सरकारी योजनाओं एवं व्यवस्थाओं से संबंधित विषयों पर भी विचार विमर्श किया गया।

फरवरी माह में ही मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक से मिली जानकारी के बाद महाराष्ट्र राज्य के लातूर में घटी एक घटना पर माननीय सदस्य श्री सुभाष रामनाथ पारधी ने स्थलीय निरीक्षण किया। आयोग ने सख्ती दिखाते हुए सख्त कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। अंत में मैं कहना चाहूंगा कि जब आप इस अंक को पढ़ रहे होंगे तब तक छठे आयोग का कार्यकाल भी खत्म हो चुका होगा।

साल 2021 में गठित छठे आयोग का कार्यकाल बीते माह फरवरी में ही खत्म हुआ। इस आयोग ने अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को न्याय दिलाने का हर संभव प्रयास किया। साथ ही कई ऐसे फैसले लिए गए जिनसे आयोग की कार्य पद्धति में सुधार हुआ जिनमें शिकायतें दर्ज करने के लिए पोर्टल शुरू करना भी था। उम्मीद है आगे भी आयोग अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को न्याय दिलाने का हर संभव प्रयास जारी रखेगा।

आपका सहयोग हमें बेहतर कार्य करने की प्रेरणा देता है। आपसे आगे भी ऐसी ही सकारात्मक सहयोग की आशा रहेगी।

जय हिंद !

सादर धन्यवाद

स्थलीय निरीक्षण

संदेशखालि में आयोग का दौरा, राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश

पश्चिम बंगाल के संदेशखालि की घटना पर संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के एक दल ने मौके का दौरा किया। इस दल की अगुवाई माननीय अध्यक्ष (कार्य प्रभारित) श्री अरूण हालदार ने की। इस दल में माननीय सदस्य श्री सुभाष रामनाथ पारधी व माननीय सदस्या डॉ. अंजू बाला भी शामिल रहीं। पूरी घटना के संबंध में आयोग ने माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मूर्मू जी को एक रिपोर्ट भी सौंपी। नॉर्थ परगना जिले के संदेशखाली में हुए हाल के घटनाओं का उल्लेख करते पश्चिम बंगाल राज्य में तत्काल प्रभाव से राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। साथ ही दिल्ली लौटकर आयोग के माननीय अध्यक्ष (कार्य प्रभारित) ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को भी पूरी जानकारी दी। माननीय अध्यक्ष (कार्य प्रभारित) ने कहा कि संदेशखाली के पीड़ित डर और भय के माहौल में जी रहे हैं। संदेशखाली में 80 प्रतिशत आबादी अनुसूचित जाति और जनजातियों की है। इसलिए सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए और राज्य में तत्काल प्रभाव से राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए।

राष्ट्रपति को सौंपी 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट

भारत के माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मूर्मू जी को श्री अरुण हालदार अध्यक्ष (कार्य प्रभारित) की अध्यक्षता में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने माननीय सदस्यों श्री सुभाष रामनाथ पारधी और डॉ. अंजू बाला के साथ राष्ट्रपति भवन कार्यालय में आयोग की वार्षिक रिपोर्ट 2022-2023 सौंपी। इस रिपोर्ट में भारत के संविधान में निहित अनुसूचित जातियों के संवैधानिक रक्षोपायों की सुरक्षा के संबंध में आयोग को सौंपे गए मुद्दों पर विभिन्न संस्तुतियां शामिल हैं।

संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को दिए गए अधिदेश के अनुसार, आयोग का कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को वार्षिक रूप से और ऐसे अन्य समय पर, जब आयोग उचित समझे, अनुसूचित जाति संवैधानिक रक्षोपायों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

आयोग की 11वीं बैठक संपन्न

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के छठे आयोग का गठन फरवरी 2021 में किया गया था। गठन के बाद से अभी तक आयोग की 11 बैठकें संपन्न हो चुकी हैं। 11वीं बैठक 2 फरवरी 2024 को हुई। छठे आयोग की यह अंतिम बैठक थी। यह बैठक नई दिल्ली स्थित आयोग मुख्यालय में हुई। इस बैठक की अध्यक्षता आयोग के माननीय अध्यक्ष (प्रभारित) श्री अरूण हालदार ने की। इस दौरान आयोग के माननीय सदस्य श्री सुभाष रामनाथ पारधी व माननीय सदस्या डॉ. अंजू बाला मौजूद रहीं।

आयोग के सचिव श्री जी. श्रीनिवास, डीआईजी श्रीमती सन्मीत कौर, निदेशक श्री कौशल कुमार, उपसचिव बनमाली नायक सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में आयोग के कामकाज को लेकर चर्चा की गई।

आयोग ने पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की समीक्षा की

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के एक दल ने माननीय अध्यक्ष (प्रभारित) श्री अरूण हालदार के नेतृत्व में पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की समीक्षा की। इस समीक्षा बैठक में माननीय सदस्य श्री सुभाष रामनाथ पारधी और डॉ. अंजू बाला भी मौजूद रहीं।

इस समीक्षा बैठक में पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में अनुसूचित जाति वर्ग के अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए बनी आरक्षण नीति की वर्तमान स्थिति पर विस्तृत चर्चा की गई।

बैठक में यह भी समीक्षा की गई कि अनुसूचित जाति के अधिकारियों-कर्मचारियों को आरक्षण नीति का उचित लाभ मिल रहा है अथवा नहीं।

साथ ही अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए अन्य सरकारी योजनाओं एवं व्यवस्थाओं से संबंधित विषयों पर भी विचार विमर्श किया गया। इस समीक्षा बैठक में आयोग के अधिकारियों के साथ-साथ भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अधिकारी और एससी-एसटी एंम्प्लाएज एसोसियशन के सदस्य भी मौजूद रहे।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के माननीय सदस्य श्री सुभाष रामनाथ पारधी ने आयोग के अहमदाबाद राज्य कार्यालय पर लंबित मामलों की फाइलों का निष्पादन किया। साथ ही माननीय सदस्य ने नए कार्यालय का स्थानीय निरीक्षण किया।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के एक दल ने फरवरी माह में नई दिल्ली में पंजाब नेशनल बैंक की समीक्षा की। यह समीक्षा बैठक माननीय अध्यक्ष (कार्य प्रभारित) श्री अरूण हालदार की अगुवाई में की गई। इस दल में माननीय सदस्य श्री सुभाष रामनाथ पारधी व माननीय सदस्या डॉ. अंजू बाला भी मौजूद रहीं। इस समीक्षा बैठक में पंजाब नेशनल बैंक में अनुसूचित जाति वर्ग के अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए बनी आरक्षण नीति की वर्तमान स्थिति पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में यह भी समीक्षा की गई कि अनुसूचित जाति के अधिकारियों-कर्मचारियों को आरक्षण नीति का उचित लाभ मिल रहा है अथवा नहीं। साथ ही अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए अन्य सरकारी योजनाओं एवं व्यवस्थाओं से संबंधित विषयों पर भी विचार विमर्श किया गया।

देश

एससी आयोग की बंगाल में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश

संदेशखाली हिंसा

February 17, 2024 08:57 AM

नयी दिल्ली, 16 फरवरी (एजेंसी)

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) के प्रमुख अरुण हलदर ने शुक्रवार को कहा कि आयोग ने संदेशखाली में टीएमसी समर्थकों द्वारा महिलाओं के कथित उत्पीड़न के बारे में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी गई रिपोर्ट में पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की है। आयोग के एक प्रतिनिधिमंडल ने बृहस्पतिवार को संदेशखाली का दौरा किया था, जहां बड़ी संख्या में महिलाओं ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के नेता शाहजहां शेख और उनके समर्थकों पर बलपूर्वक जमीन पर कब्जा करने और यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है।

राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए हलदर ने संदेशखाली में कथित अत्याचार और हिंसा के बारे में संक्षिप्त विवरण साझा किया। उन्होंने दावा किया कि राज्य में अपराधियों ने वहां की सरकार से गठजोड़ कर लिया है। संदेशखाली में हिंसा का असर अनुसूचित जाति समुदाय के लोगों पर भी पड़ रहा है। शाहजहां से जुड़े लोगों ने राशन घोटाले के सिलसिले में छापा मारने गए प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों पर कथित तौर पर हमला किया था, जिसके बाद से शाहजहां फरार है। महिलाएं शाहजहां की गिरफ्तारी की मांग कर रही हैं।

WB: राष्ट्रीय SC आयोग ने संदेशखाली मामले का संज्ञान लिया, प्रशासन से तीन दिन के अंदर मांगी कार्रवाई की जानकारी

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता Published by: श्वेता महतो Updated Tue, 13 Feb 2024 03:04 PM IST

सार

78680 Followers देश

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने तीन दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट जमा करने को कहा है। रिपोर्ट में घटना, पीड़ितों और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई से जुड़ी सभी जानकारियों की भी मांग की गई है।

संदेशखली में प्रदर्शन करती महिलाएं। - फोटो : एक्स/सोनू ओझा

विस्तार

Follow Us

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने पश्चिम बंगाल के अशांत संदेशखाली क्षेत्र का स्वतः संज्ञान लिया है। उन्होंने प्रशासन को तीन दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा है। आयोग ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत मामले की जांच करने का निर्णय लिया है।

आयोग ने कहा, 'आपसे अनुरोध है कि इस नोटिस की प्राप्ति के तीन दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट जमा करें। रिपोर्ट में घटना, पीड़ितों और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई से जुड़ी सभी जानकारियां होनी चाहिए।'

Sandeshkhali violence key developments: NCSC submits report to Murmu, recommends President's rule in Bengal

SOFINDIA.COM / Updated: Feb 16,

43 PTS SHARE AA FOLLOW US

The National Commission for Scheduled Castes has recommended President's rule in West Bengal due to alleged harassment of women by TMC supporters. Protests continue demanding a transparent investigation. The Supreme Court cor ... Read More

NEW DELHI: Amid Sandeshkhali violence, the National Commission for Scheduled Castes (NCSC) has submitted a comprehensive report to President Droupadi Murmu, recommending the imposition of President's rule in West Bengal. NCSC Chief Arun Halder disclosed that the commission's report highlighted the alleged harassment of women by Trinamool Congress (TMC) supporters in Sandeshkhali.

Sandeshkhali violence: Scheduled Caste panel recommends President's rule in Bengal

A delegation of the NCSC had visited Sandeshkhali on Thursday after a large number of women claimed that TMC leader Shajahan Sheikh and his supporters captured swathes of land by force and also sexually harassed them.

Listen to Story Share

ADVERTISEMENT

NCSC Chief Arun Halder. (Picture: X/@arunhalderncsc)

Press Trust of India

New Delhi, UPDATED: Feb 16, 2024 19:02 IST

Posted By: Ashutosh Acharya

In Short

- NCSC recommends President's rule in West Bengal for alleged harassment of women by TMC supporters in Sandeshkhali.
- NCSC said the state government tried to dissuade them from visiting the area.
- Sandeshkhali continued to remain tense on Friday.

National Commission for Scheduled Castes (NCSC) chief Arun Halder on Friday said the commission has recommended the imposition of President's rule in West Bengal in its report submitted to President Droupadi Murmu on alleged harassment of women by TMC supporters in Sandeshkhali.

National Commission for Scheduled Castes submits Report to President of India

Posted On: 16 FEB 2024 7:38PM by PIB Delhi

Shri Arun Haldar, Vice-Chairman (Chairman In-charge) submitted the Annual Report 2022-23 of the National Commission of Schedule Caste to the President of India, Smt. Draupadi Murmu at Rashtrapati Bhawan today. Shri Subhash Ramnath Pardhi and Dr. Anju Bala, Members were also present on this occasion.

The reports contain various recommendations on the issues entrusted to the Commission regarding protection of Constitutional Safeguards of the Scheduled Castes as enshrined in Constitution of India.

As per mandate given to the National Commission for Scheduled Castes under Article 338 of the Constitution of India, it is the duty of the Commission to present to the President annually & at other times as the Commission may deem fit, reports upon the working of the Constitutional Safeguards of the Scheduled Castes. The reports may include recommendation for the measures required to be taken by the Union and the States for the effective implementation of those safeguards and other measures for the protection, welfare and socio-economic development of the Scheduled Castes.

Sandeshkhali row: NCSC submits report to Murmu, recommends President's rule in West Bengal

A delegation of the National Commission for Scheduled Castes (NCSC) which visited West Bengal's Sandeshkhali to probe alleged harassment of women by TMC supporters has submitted its report to President Droupadi Murmu.

PTI

Last Updated 16 February 2024, 14:50 IST

Shri Arun Halder, Chairman(Incharge) of the National Commission for Scheduled Castes, along with Hon'ble members Shri Subhash Ramnath Pardhi and Dr. Anju Bala (Full Commission) on a spot visit at Sandeshkhali, North 24 Parganas, West Bengal. Credit: X/@NCSC_GoI

New Delhi: NCSC chief Arun Halder on Friday said the commission has recommended the imposition of President's rule in West Bengal in its report submitted to President Droupadi Murmu on alleged harassment of women by TMC supporters in Sandeshkhali.

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के माननीय अध्यक्ष (कार्य प्रभारित) श्री अरूण हालदर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के माननीय सदस्य श्री सुभाष रामनाथ पारधी ने महाराष्ट्र के लातूर में अधिकारियों के साथ चर्चा करते हुए।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

पांचवां तल, लोक नायक भवन, खान मार्किट
नई दिल्ली-110003